

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/निप्र/डी-१/21902/विपु/2019/55

दिनांक : 22.01.2020

परिपत्र

विद्यालय केवल शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास (all round development) में जुटे एवं विद्यालय उत्कृष्टता के केन्द्र (center for excellence) के रूप में स्थापित हो, इस हेतु राज्य सरकार के निर्देश परिपत्र क्रमांक : प.17(8)शिक्षा-१/2008 जयपुर, दिनांक : 24.07.2019 के क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के सहयोग से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार योजना सत्र : 2019–20 से प्रारम्भ की जा रही है।

"सर्व श्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार योजना" हेतु पात्र विद्यालयों के चयन के लिए सूक्ष्म अंक योजना, पुरस्कारों की संख्या, राशि, सामान्य निर्देश एवं पंचांग का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

- विभिन्न स्तरों पर सर्व श्रेष्ठ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में चयनित विद्यालयों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या एवं राशि का विवरण :-

क्र०सं०	स्तर	संख्या	पुरस्कार की राशि		कुल देय राशि
			उच्च माध्यमिक वर्ग	माध्यमिक वर्ग	
1	राज्य स्तर	प्रथम द्वितीय तृतीय	100000/- 75000/- 50000/-	50000/- 40000/- 25000/-	340000/-
2	जिला स्तर	66	25000/-	25000/-	1650000/-
3	ब्लॉक स्तर	301	10000/-		3010000/-
	महायोग :	373			5000000/-

- विद्यालय चयन के लिए सूक्ष्म अंक योजना :-

1—विद्यालय का कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा परिणाम : पूर्णांक –05 अंक

अ)	शत—प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण	05 अंक
ब)	90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण	04 अंक
स)	80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण	03 अंक
द)	70 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण	02 अंक
य)	60 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण	01 अंक

2—विद्यालय का कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम : पूर्णांक –05 अंक

अ)	शत—प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण	05 अंक
ब)	90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण	04 अंक
स)	80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण	03 अंक
द)	70 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण	02 अंक
य)	60 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण	01 अंक

नोट :- माध्यमिक विद्यालय वर्ग में आवेदन की स्थिति में बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु देय अंक मात्र कक्षा – 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु आकलित करते हुए पूर्णांक 10 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे।

3—गुणात्मक परीक्षा परिणाम (कक्षा-12) : पूर्णांक -05 अंक

अ)	शत-प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	05 अंक
ब)	90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	04 अंक
स)	80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	03 अंक
द)	70 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	02 अंक
य)	60 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	01 अंक

4—गुणात्मक परीक्षा परिणाम (कक्षा-10) : पूर्णांक -05 अंक

अ)	शत-प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	05 अंक
ब)	90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	04 अंक
स)	80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	03 अंक
द)	70 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	02 अंक
य)	60 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर	01 अंक

नोट – माध्यमिक विद्यालय होने की स्थिति में गुणात्मक बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु देय अंक मात्र कक्षा – 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु आकलित करते हुए पूर्णांक 10 के अनुरूप आनुपातिक रूप से देय होंगे।

5—गुणात्मक परीक्षा परिणाम : प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा-8) :

पूर्णांक -05 अंक

अ)	शत-प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	05 अंक
ब)	90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	04 अंक
स)	80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	03 अंक
द)	70 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	02 अंक
य)	60 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	01 अंक

6—गुणात्मक परीक्षा परिणाम : प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5) :

पूर्णांक -05 अंक

अ)	शत-प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	05 अंक
ब)	90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	04 अंक
स)	80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	03 अंक
द)	70 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	02 अंक
य)	60 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए-ग्रेड प्राप्त करने पर	01 अंक

7—खेलकूद गतिविधियों में विद्यार्थियों का संभागित्व : पूर्णांक -05 अंक

अ)	राष्ट्रीय स्तर	05 अंक
ब)	राज्य स्तर	03 अंक
स)	जिला स्तर	02 अंक

8—विद्यालय द्वारा विभिन्न विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन : पूर्णांक -05 अंक

अ)	राष्ट्रीय स्तर	05 अंक
ब)	राज्य स्तर	03 अंक
स)	जिला स्तर	02 अंक

9—विशिष्ट प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं (NTSE, STSE, NMMS, INSPIRE AWARD) में विद्यार्थियों का चयन :

पूर्णांक —05 अंक

अ)	राष्ट्रीय स्तर (NTSE, INSPIRE AWARD)	05 अंक
ब)	राज्य स्तर (STSE, INSPIRE AWARD)	03 अंक
स)	जिला स्तर (NMMS, INSPIRE AWARD)	02 अंक

10—नामांकन वृद्धि :

पूर्णांक —10 अंक

विद्यालय में विगत वर्ष के कुल नामांकन में समीक्ष्य वर्ष के दौरान नामांकन वृद्धि की स्थिति में प्रति प्रतिशत वृद्धि पर 01 अंक देय होगा अर्थात् न्यूनतम 01 प्रतिशत वृद्धि पर 01 अंक, 02 प्रतिशत वृद्धि पर 02 अंक तथा इसी प्रकार 10 प्रतिशत वृद्धि पर अधिकतम 10 अंक देय होंगे। नामांकन वृद्धि हेतु देय अंक उसी अवस्था में विद्यालय को प्रदान किए जाएंगे, जबकि विद्यालय में कक्षा समूहवार निर्धारित न्यूनतम आदर्श नामांकन के अनुरूप नामांकन की स्थिति होगी। उक्तानुरूप कक्षा — 1 से 5 में प्रति कक्षा — 30 के नामांकन के अनुरूप न्यूनतम 150, कक्षा — 1 से 8 में प्रति कक्षा — 35 के नामांकन के अनुरूप न्यूनतम 105, कक्षा — 9 से 10 प्रति कक्षा — 50 के नामांकन के अनुरूप न्यूनतम नामांकन 100 तथा कक्षा — 11 से 12 में प्रति कक्षा — 50 के नामांकन के अनुरूप न्यूनतम — 100 का नामांकन होने पर ही समीक्ष्य सत्र में नामांकन वृद्धि की गणना की जाकर तदनुरूप अंक प्रदान किए जा सकेंगे।

11—जन सहयोग :

पूर्णांक —10 अंक

अ)	10 लाख से अधिक	10 अंक
ब)	8 लाख से अधिक	08 अंक
स)	6 लाख से अधिक	06 अंक
द)	4 लाख से अधिक	04 अंक
य)	2 लाख से अधिक	02 अंक

(यह सहयोग सामग्री/निर्माण के रूप में हो सकता है)

12—विद्यालय द्वारा विभिन्न सह-शैक्षिक गतिविधियों/विभागीय कार्यक्रमों (राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय) के आयोजन में सहभागिता :

पूर्णांक —05 अंक

अ)	संस्था प्रधान वाक्पीठ।	02 अंक
ब)	विज्ञान मेला/सेमिनार/कला उत्सव/जीवन कौशल विकास मेला/विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ।	02 अंक
स)	बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों/शिक्षकों हेतु सृजनात्मक/व्यावसायिक कौशल उन्नयन प्रतियोगिता का आयोजन	01 अंक

13—सामुदायिक सहभागिता :

पूर्णांक —15 अंक

1	आयकर विभाग से जारी 80—जी प्रमाण—पत्र।	02 अंक
2	शिविर पंचांग के अनुरूप सम्पूर्ण सत्र में आयोज्य समस्त PTM का अभिलेख संधारण एवं शाला दर्पण पर अपडेशन।	01 अंक
3	विद्यालय में “विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच” के औपचारिक गठन उपरान्त शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्व विद्यार्थियों के विवरण का अंकन।	01 अंक
4	समीक्ष्य सत्र के दौरान पूर्व विद्यार्थियों की ऐल्युमनी मीट “सखा—संगम” कार्यक्रम का विधिवत आयोजन।	02 अंक
5	विद्यालय में प्रतिमाह निर्देशानुसार SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विधिवत अभिलेख संधारण तथा पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति।	01 अंक
6	विद्यालय में “क्राउड फंडिंग” हेतु अक्षय पेटिका का संचालन एवं प्रतिमाह SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्राप्त सहयोग राशि की गणना उपरान्त शाला दर्पण पर सतत अपडेशन।	02 अंक

7	विद्यालय के सम्पूर्ण स्टाफ का "ज्ञान सम्पर्क पोर्टल" पर पंजीयन ।	01 अंक
8	नियमित रूप से सामुदायिक बाल सभा आयोजन एवं रिकॉर्ड संधारण ।	02 अंक
9	विद्यालय में स्काउट/गाईड अथवा एन.सी.सी. इकाईयों का संचालन ।	02 अंक
10	समीक्ष्य सत्र के दौरान विद्यालय में वार्षिकोत्सव का विधिवत आयोजन ।	01 अंक

14-विविध उपलब्धियां / क्रियाकलाप/ गतिविधियां :

पूर्णांक -15 अंक

1	विज्ञान क्लब का विधिवत गठन एवं गतिविधियों का सतत संचालन ।	01 अंक
2	विद्यालय की वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन ।	01 अंक
3	विद्यालय SIQE CERTIFICATION प्रक्रिया निष्पादन उपरान्त शाला दर्पण पोर्टल पर SIQE CERTIFIED विद्यालय है।	02 अंक
4	छात्र-छात्राओं हेतु पृथक-पृथक कियाशील शौचालय तथा नियमित साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था ।	02 अंक
5	विद्यार्थियों हेतु स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ।	01 अंक
6	विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों यथा - "हरित पाठशाला", पर्यावरण क्लब एवं वृक्षारोपण से सम्बन्धित निर्देशों की सम्पूर्ण पालना एवं सतत क्रियान्विति ।	02 अंक
7	विद्यालय द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी, शिक्षक एवं विद्यालय से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित अपडेशन ।	02 अंक
8	विद्यालय में "राजीव गांधी केरियर गाइडेंस पोर्टल" का विद्यालय में कक्षा - 9 से 12 के न्यूनतम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा लॉगिन/सर्फिंग ।	02 अंक
9	विद्यालय में पुस्तकालय का व्यावहारिक उपयोग एवं विद्यार्थियों के लिए "पुस्तक निर्गमन पंजिका" का सतत संधारण ।	02 अंक

3. सामान्य निर्देश :-

- इस योजनान्तर्गत आवेदन हेतु राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय पात्र हैं। माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय पृथक-पृथक माध्यमिक वर्ग एवं उच्च माध्यमिक वर्ग में आवेदन करेंगे। नवक्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालय कक्षा -10 की बोर्ड परीक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रविष्ट होने की स्थिति में ही आवेदन के पात्र होंगे।
- विद्यालयों द्वारा उक्त पुरस्कार योजना हेतु शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा, जो संस्था प्रधान द्वारा ऑन लाईन पूर्ति पश्चात् सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाएगा। उक्त आवेदन हेतु पोर्टल पर मॉड्यूल प्रतिवर्ष 01 जुलाई को लाईव होगा, जो कि विद्यालयों द्वारा आवेदन हेतु 31 अगस्त तक खुला रहेगा।
- प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की सूक्ष्म अंक योजना के अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन करने वाले समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु वरीयता बनाई जाकर प्रथम तीन स्थान प्राप्त प्रस्तावों को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अग्रेषित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग में कुल तीन विद्यालयों का संयुक्त रूप से चयन किया जाएगा, परन्तु उक्त चयन में न्यूनतम एक-एक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को आवश्यक रूप से समिलित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर सर्व श्रेष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, दोनों वर्गों में संयुक्त रूप से उच्चतम वरीयता वाले एक विद्यालय का चयन किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यालय अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) उक्त योजना हेतु ब्लॉक नॉडल अधिकारी होंगे तथा उक्त योजनान्तर्गत ब्लॉक से अधिकाधिक विद्यालयों को आवेदन हेतु प्रेरित करने तथा वरीयता में आने वाले प्रथम तीन विद्यालयों के प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किए जाने हेतु उत्तरस्वादी होंगे। समस्त प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्म अंक योजना के अनुरूप वरीयता निर्धारण की कार्यवाही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों एवं आंकड़ों के भौतिक सत्यापन की यथोचित कार्यशाही/प्रमाणीकरण किए जाने के पश्चात् ही की जाएगी।

4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिला क्षेत्राधिकार के समस्त ब्लॉक से वरीयतानुसार प्राप्त तीन-तीन प्रस्तावों का सूक्ष्म अंक योजना के अनुरूप परीक्षणोपरान्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग में जिले की प्रथम तीन-तीन वरीयताओं में आने वाले विद्यालयों का चयन कर प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय को ऑनलाईन अप्रेषण हेतु उत्तरदायी होंगे। उक्त परीक्षण एवं चयन हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एतद द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाता है :-

क्र.सं.	पदनाम	चयन समिति में दायित्व
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक	सदस्य
3	प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
4	सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार योजनात्तर्गत पूर्व में चयनित विद्यालय से सम्बन्धित प्रधानाचार्य (जिसके वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय द्वारा उक्त योजना के तहत आवेदन नहीं किया गया हो)	सदस्य
5	सहायक निदेशक (कार्यालय - मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी)	सदस्य सचिव

नोट :- क्र.सं.-4 पर अंकित पात्र सदस्य नहीं मिलने पर संस्थापन अधिकारी (कार्यालय - मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी) को उक्त प्रधानाचार्य के स्थान पर सदस्य मनोनीत किया जाएगा।

उपर्युक्त समिति द्वारा ब्लॉक कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की सूक्ष्म अंक योजना के अनुरूप जिला स्तरीय वरीयता निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार प्राप्त प्रस्तावों के भौतिक सत्यापन/प्रमाणीकरण की यथोचित कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।


5. संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षोपरान्त प्रत्येक जिले से दोनों वर्गों में वरीयतानुसार प्राप्त तीन-तीन प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ऑनलाईन अप्रेषित किए जाएंगे। साथ ही अप्रेषित किए गए प्रस्ताव एवं संलग्नकों की हार्ड कॉपी की पंजिका निर्मित कर निर्धारित समयावधि में निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।
6. राज्य स्तर पर उप निदेशक (माध्यमिक), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बींकानेर उक्त सम्पूर्ण योजना की समयबद्ध क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय नॉडल अधिकारी के रूप में उत्तरदायी होंगे। उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा समस्त प्राप्त प्रस्तावों की गहन समीक्षा पश्चात् सूक्ष्म अंक योजना के अनुरूप माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग में पृथक-पृथक रूप से प्रथम तीन प्रस्तावों का राज्य स्तर पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में चयन किया जाएगा।
7. निदेशालय द्वारा राज्य स्तर पर दोनों वर्गों में पृथक- पृथक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के चयनोपरान्त सूक्ष्म अंक योजना के अनुरूप शेष प्रस्तावों में से प्रत्येक जिले हेतु सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्धारण किया जाकर उक्तानुरूप चयनित 72 विद्यालयों की सूची का प्रकाशन विभागीय पत्रिका "शिविरा" में किया जाएगा। उक्त सूचना समस्त सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित कर शेष प्रस्तावों में से उनके क्षेत्राधिकार के प्रत्येक ब्लॉक में सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का विवरण निदेशालय द्वारा प्राप्त कर उक्तानुरूप ब्लॉकवार सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची का प्रकाशन भी "शिविरा" पत्रिका में करवाया जाएगा।
8. उपर्युक्त वर्णित सम्पूर्ण कार्यवाही प्रतिवर्ष 31 मार्च तक आवश्यक रूप से सम्पादित की जाएगी।
9. उपर्युक्तानुसार योजना के बिन्दु संख्या : 1 में अंकित संख्यानुसार ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा जिला एवं राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की पृथक - पृथक सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा उक्त समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को बोर्ड के दीक्षांत समारोह के दौरान निर्धारित राशि के चैक तथा प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। उक्त प्रमाण - पत्र में पुरस्कार हेतु चयनित विद्यालय में समीक्ष्य अवधि के दौरान संस्था प्रधान के रूप में अधिकतम अवधि तक कार्यरत रहने वाले संस्था प्रधान के नाम का भी उल्लेख किया जाएगा, जिसका प्रमाणन ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित कार्यरत अवधि के अनुरूप मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

10. पुरस्कार राशि का उपयोग : चयनित विद्यालयों को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त राशि का उपयोग विद्यालय विकास हेतु SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार किया जा सकेगा। विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को समृद्धि करने यथा पुस्तकें, प्रयोगशाला उपकरण, सहायक शैक्षिक सामग्री, आवश्यकतानुसार अन्य उपस्कर इत्यादि के क्षेत्र के लिए किया जा सकेगा। साथ ही उक्त राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जन सहभागिता से सम्बन्धित योजनाओं में विद्यालय/स्थानीय अंश के रूप में सम्मिलित कर किया जा सकेगा।
11. आवेदन में असत्य/गलत/अप्रमाणित तथ्य प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्ध "राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958" के प्रावधानों के तहत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
12. यह योजना सत्र : 2019-20 से प्रारम्भ होगी अर्थात् 01 जुलाई- 2019 से 30 जून-2020 तक की समयावधि के दौरान विद्यालय द्वारा अर्जित उपलब्धियों की गणना सूक्ष्म अंक योजना में की जाएगी। एक बार विद्यालय ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ चयनित होकर पुरस्कृत हो जाने पर उन्हें आगामी तीन वर्षों में समान स्तर पर चयन के लिए अपात्र माना जाएगा अर्थात् ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर और जिला स्तर के बाद राज्य स्तर का पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है।

4. पंचांग :-

सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार योजना से सम्बन्धित सभी कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु एतद द्वारा समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :—

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन आवेदन संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित करना।	31 अगस्त
2.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त ब्लॉक के प्रथम तीन वर्षीय वाले माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ऑनलाईन अग्रेषित करना।	30 सितम्बर
3.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से जिला क्षेत्राधिकार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग में तीन - तीन विद्यालयों के चयनोपरान्त प्रस्ताव संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय को ऑनलाईन अग्रेषित करना।	31 अक्टूबर
4.	संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षणोपरान्त संभाग के प्रत्येक जिले से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग में तीन - तीन विद्यालयों के प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय को ऑनलाईन अग्रेषित करना।	30 नवम्बर
5.	निदेशालय द्वारा संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय के माध्यम से प्रत्येक जिले से ऑनलाईन प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग में तीन - तीन विद्यालयों के प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त दोनों वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालयों की सूची तथा जिला स्तर पर दोनों वर्गों में एक-एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर एक सर्वश्रेष्ठ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूची का विभागीय पत्रिका "शिविरा" में प्रकाशन।	31 मार्च



(हिमांशु गुप्ता) 2/01
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/निप्र/डी-१/21902/विपु/2019/

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।

3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त 'आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. उप निदेशक (योजना), कार्यालय हाज़ा।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण, प्रभावी प्रबोधन तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित प्रचार-प्रसार हेतु।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-माध्यमिक।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान को ब्लॉक क्षेत्राधिकार के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थां प्रधानों को अधिकाधिक आवेदन के लिए प्रेरित करने हेतु।
13. समस्त जिला प्रभारी गण, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
14. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर / अजमेर।
15. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
17. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
18. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं संस्था प्रधान, राजकीय मावि/उमावि।
19. सहायक निदेशक (शाला दर्पण), कार्यालय हाजा को 'शाला दर्पण पोर्टल' पर अपलोड करने हेतु।
20. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
21. रक्षित पत्रावली।


 उप निदेशक (माध्यमिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर